



मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल

(0755) 2464428, 2466191 Fax: {0755} 2463742, e-mail: it.mppcb@rediffmail.com

क्रमांक 590 सा.प्र.256/पार्ट-7/प्रनिबो/2026

भोपाल, दिनांक 06 APR 2026

नियुक्ति हेतु विज्ञापन

मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर निम्नानुसार नियुक्ति के लिये एम.पी. ऑनलाईन के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं :-

क्र.	पदनाम एवं वेतनमान	कुल संख्या	आरक्षण
1.	सहायक यंत्री (पर्यावरण) Level-12 (56100-177500)	14	UR(Open)-3 UR (Women)-02, SC (Open)-1 SC (Women)-1, ST (Open)-2 ST (Women)-1, OBC (Open)-2 OBC (Women)-1 EWS (Open)-1

सहायक यंत्री (पर्यावरण) पद हेतु पात्रता मापदंड, सामान्य नियम एवं शर्तों सहित विस्तृत विज्ञापन मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वेबसाईट www.mppcb@mp.gov.in तथा MP Online की वेबसाईट www.mponline.gov.in पर उपलब्ध है। ऑनलाईन आवेदन पत्र MP Online की अधिकारिक वेबसाईट पर उपलब्ध लिंक forms.mponline.gov.in के माध्यम से किये जा सकेंगे। आवेदन हेतु MP Online द्वारा निर्धारित शुल्क देय होगा। आवेदन हेतु निर्धारित तिथियां :-

आवेदन पत्र भरने की प्रारम्भ दिनांक 10/04/2026 त्रुटिसुधार करने की प्रारम्भ दिनांक 13/04/2026

आवेदन पत्र भरने की अंतिम दिनांक 30/04/2026 त्रुटिसुधार करने की अंतिम दिनांक 02/05/2026



सदस्य सचिव
म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल

मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल -462016

सहायक यंत्री (पर्यावरण) पद पर नियुक्ति हेतु नियम पुस्तिका

मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 के अन्तर्गत किया गया है। बोर्ड द्वारा पर्यावरण संबंधी अधिनियमों एवं नियमों के प्रावधानों को लागू कराने का कार्य किया जाता है। बोर्ड द्वारा कनिष्ठ वेतनमान समकक्ष सहायक यंत्री (पर्यावरण) के पद पर सीधी भर्ती हेतु एम.पी. ऑनलाइन के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं :-

1. पद एवं आरक्षण का विवरण :-

क्र.	पद का नाम एवं वेतनमान	शैक्षणिक अर्हता	कुल पद संख्या
1.	कनिष्ठ वेतनमान समकक्ष सहायक यंत्री (पर्यावरण) (लेवल-12 वेतनमान 56100 -177500 ग्रेड पे 5400)	मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय से पर्यावरण इंजीनियरिंग में स्नातकोत्तर व स्नातक स्तर पर सिविल इंजीनियरिंग	14

आरक्षण तालिका -

क्र.	श्रेणी (Category)	पद संख्या		
		ओपन	महिला	कुल
1.	अनारक्षित	03	02	05
2.	अनुसूचित जाति (एस.सी.) 16 प्रतिशत	01	01	02
3.	अनुसूचित जनजाति (एस.टी.) 20 प्रतिशत	02	01	03
4.	अन्य पिछडा वर्ग (ओबीसी) 27 प्रतिशत	02	01	03
5.	आर्थिक कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) 10 प्रतिशत	01	00	01
कुल		09	05	14

याचिका क्र. WP-18105/2021 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 04 अगस्त, 2023 को पारित अंतरिम आदेश के दृष्टिगत अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-07-37/2021/आ.प्र./एक भोपाल, दिनांक 27 जनवरी, 2024 में दिये गये दिशा निर्देशों के अनुसार उपरोक्त आरक्षण तालिका में अन्य पिछडा वर्ग को 14 प्रतिशत आरक्षण अनुसार 02 पद पर भर्ती की जायेगी तथा 13 प्रतिशत आरक्षण अनुसार 01 पद (ओपन) का होल्ड पर रखा जायेगा।

Atks

Devidas

2. आयु सीमा –

(अ) न्यूनतम आयु-सीमा 21 वर्ष तथा अधिकतम आयु-सीमा 40 वर्ष होगी। मध्य प्रदेश के मूल निवासी तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्गों, विभागों/निगमों/ मण्डलों/आयोगों/स्वायत्तशासी निकायों/होमगार्ड में कार्यरत शासकीय सेवकों तथा महिला अभ्यर्थियों व दिव्यांगजनों के लिए आयु सीमा 45 वर्ष होगी। मध्य प्रदेश मूल निवासी अन्य पिछड़ा वर्ग नान क्रीमीलेयर अभ्यर्थियों को ही आयु सीमा में छूट का लाभ प्राप्त होगा। अधिकतम आयु सीमा के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी संशोधन लागू होंगे। आयु सीमा की गणना भर्ती के चालू वर्ष की 1 जनवरी अर्थात् 01 जनवरी 2026 की स्थिति में की जाएगी।

(ब) आयु की गणना हेतु अभ्यर्थी की 10वीं (हाईस्कूल) की अंक सूची में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी। अतः अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र में 10वीं की अंक सूची में उल्लेखित नाम / पिता का नाम तथा जन्मतिथि का ही उल्लेख करें।

3. शुल्क संबंधी विवरण –

आवेदन हेतु एमपी ऑनलाइन द्वारा निर्धारित शुल्क देय होगा।

4. चयन प्रक्रिया –

- एमपी ऑनलाइन के माध्यम से केवल ऑनलाइन आवेदन पत्र स्वीकार किये जायेंगे। आवेदन हेतु निर्धारित तिथियाँ -
 - ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारम्भ दिनांक – 10/04/2026
 - आवेदन पत्र त्रुटि सुधार करने की प्रारम्भ दिनांक - 13/04/2026
 - ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम दिनांक - 30/04/2026
 - आवेदन पत्र त्रुटि सुधार करने की अंतिम दिनांक - 02/05/2026
2. अन्य किसी भी प्रकार से भेजे गये आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
3. त्रुटि सुधार अवधि समाप्त होने के पश्चात आवेदन पत्र में किसी भी प्रकार का परिवर्तन मान्य नहीं होगा।
4. चयन हेतु कम्प्यूटर बेस्ड टेस्ट (सी.बी.टी.) एवं साक्षात्कार आयोजित किया जावेगा।
5. एम.पी. ऑनलाइन द्वारा कम्प्यूटर बेस्ड टेस्ट आयोजित कर प्रत्येक श्रेणीवार पदों की संख्या के तीन गुना के बराबर अभ्यर्थियों के नाम मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भेजे जायेंगे। एम.पी. ऑनलाइन द्वारा अभ्यर्थियों के प्राप्तांक घोषित नहीं किये

Aha

Devendra

जावेंगे एवं बोर्ड को भी अभ्यर्थियों की सूची के साथ उनके प्राप्तांक की जानकारी नहीं भेजी जावेगी।

6. एम.पी. ऑनलाइन से प्राप्त अभ्यर्थियों के साक्षात्कार मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा आयोजित किये जायेंगे। जिसके लिये अध्यक्ष, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा तीन सदस्यीय साक्षात्कार समिति का गठन किया जावेगा, जिसमें एक समिति का अध्यक्ष होगा एवं दो विशेषज्ञ सदस्य होंगे।
7. साक्षात्कार के प्राप्तांक बोर्ड द्वारा एम.पी. ऑनलाइन को भेजे जावेंगे, जिसमें पूर्णतः गोपनीयता रखी जावेगी।
8. कम्प्यूटर बेस्ड टेस्ट से प्राप्त प्राप्तांक एवं साक्षात्कार से प्राप्त प्राप्तांक के आधार पर एम.पी. ऑनलाइन द्वारा मेरिट लिस्ट तैयार की जावेगी। मेरिट लिस्ट तैयार किये जाने हेतु निम्नानुसार अंको की गणना की जावेगी :-

क्र.	टेस्ट का प्रकार	वेटेज	पूर्णांक	प्राप्तांक
1	कम्प्यूटर बेस्ड टेस्ट	80%	80	-
2	साक्षात्कार	20%	20	-
	योग	-	100	-

9. एम.पी. ऑनलाइन द्वारा उपरोक्त प्रक्रिया अनुसार श्रेणीवार (Category) मेरिट लिस्ट तैयार कर मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भेजी जावेगी।
10. एम.पी. ऑनलाइन द्वारा कम्प्यूटर बेस्ड टेस्ट से प्राप्त अंको एवं साक्षात्कार से प्राप्त अंको को पूर्णतः गोपनीय रखा जावेगा तथा बोर्ड द्वारा लिखित में मांगे जाने पर ही प्रदाय किया जावेगा। इस सन्दर्भ हेतु लिखित में वचन पत्र बोर्ड को परीक्षा प्रक्रिया प्रारम्भ करने के पूर्व प्रस्तुत करना होगा।
11. मेरिट लिस्ट प्राप्त होने के पश्चात अध्यक्ष, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुमोदन पश्चात बोर्ड द्वारा नियुक्ति संबंधी अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।
12. मेरिट लिस्ट 01 वर्ष तक वैध रहेगी तथापि 01 वर्ष के पश्चात उपरोक्त मेरिट लिस्ट के आधार पर नियुक्ति की कार्यवाही का अधिकार अध्यक्ष, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पास सुरक्षित रहेगा। अध्यक्ष की अनुमति से 01 वर्ष के बाद भी सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों की नियुक्ति संबंधी कार्यवाही की जा सकेगी।
13. पदों की संख्या में कमी अथवा वृद्धि का अधिकार अध्यक्ष, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को रहेगा, तदानुसार बोर्ड द्वारा आवश्यकतानुसार प्राप्त सूची से नियुक्ति संबंधी कार्यवाही की जा सकेगी।

Ake



14. मैरिट के आधार पर अभ्यर्थियों को दस्तावेजों के सत्यापन हेतु बुलाया जावेगा। दस्तावेज सत्यापन उपरान्त नियुक्ति पत्र जारी किये जा सकेंगे।
15. मेरिट सूची में समान स्कोर होने की स्थिति में अधिकतम आयु वाले अभ्यर्थी का चयन किया जावेगा। आयु भी समान होने की स्थिति में हाई स्कूल परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जावेगी। अन्य परिस्थिति में राज्य शासन के नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
16. चयनित अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित अवधि में कार्यभार ग्रहण न करने पर मेरिट सूची के अगले अभ्यर्थी का चयन किया जावेगा।

5. परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम

कम्प्यूटर बेस्ड टेस्ट (सी.बी.टी.) हेतु निम्नलिखित विषयों से संबंधित वस्तुनिष्ठ (Multiple Choice) प्रश्न पूछे जावेंगे :-

1. राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भोपाल द्वारा पर्यावरण इंजीनियरिंग से स्तानकोत्तर हेतु निर्धारित पाठ्यक्रम के निम्न विषय –
 - a. Waste Water treatment Technology System with Design
 - b. Design of Water Treatment System
 - c. Environmental Management
 - d. Recycling of Industrial Waste Water & Disposal
 - e. Environmental Chemistry
 - g. Air Pollution Sources & Control Technologies
 - h. Industrial Water & Waste Water Treatment
 - i. Solid Waste Management
 - j. Hazardous Waste management
 - k. Laboratory Equipments for Sampling & Analysis of Environmental Parameters related to Air, Water, Noise, Solid Waste, Hazardous Waste etc.
2. भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी पर्यावरण संबंधी अधिनियमों एवं मध्य प्रदेश शासन द्वारा तत्संबंध में बनाये गये नियमों के प्रावधानों से संबंधित प्रश्न।
3. जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण के स्रोत एवं नियंत्रण हेतु तकनीकी से संबंधित प्रश्न, ठोस अपशिष्ठ एवं परिसंकटमय अपशिष्ठ के प्रबंधन से संबंधित प्रश्न आदि।
4. सामान्य ज्ञान एवं करेंट अफेयर्स विशेष सन्दर्भ से मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य से संबंधित प्रश्न
5. कम्प्यूटर के प्रारंभिक ज्ञान (Basic Knowledge), आई.टी. (Information Technology) एवं लॉजिक से संबंधित प्रश्न

Alk



6. आवश्यक शर्तें –

1. आवेदक भारतीय नागरिक होना चाहिये ।
2. आरक्षित वर्ग के लिये मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है । मध्य प्रदेश के बाहर के अभ्यर्थी केवल अनारक्षित श्रेणी के लिये आवेदन हेतु पात्र होंगे ।
3. अभ्यर्थी के पास अनिवार्य अर्हतायें ऑनलाईन आवेदन करने की अंतिम तिथि पर होना चाहिये। आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद अर्हतायें अर्जित करने वाले अभ्यर्थी आवेदन हेतु पात्रता नहीं रखेंगे ।
4. जातिगत आरक्षण के लिये सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये प्रमाण-पत्र ही मान्य होंगे ।

7. परिलब्धियां –

1. चयनित अभ्यर्थियों को राज्य शासन के नियमानुसार प्रथम 2 वर्ष की परिवीक्षा पर नियुक्त किया जावेगा। परिवीक्षा अवधि में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियमानुसार न्यूनतम वेतन प्राप्त होगा ।
2. परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर कनिष्ठ वेतनमान समकक्ष सहायक यंत्री (पर्यावरण) पद का वेतनमान Level 12 (56100-177500) व अन्य भत्ते प्राप्त होंगे ।

8. अन्य नियम-निर्देश –

1. विज्ञापन के संदर्भ में समस्त आवश्यक सूचनायें MP Online की वेबसाईट पर उपलब्ध करवायी जावेगी। इस संदर्भ में प्राप्त ईमेल / पत्राचार / दूरभाष संदेश पर कोई कार्यवाही नहीं की जावेगी ।
2. आवेदक के पास जीवित ई-मेल आई.डी. होना आवश्यक है। आवेदन में दर्ज ई-मेल आई.डी. पर ही आवश्यक सूचनाएं प्रेषित की जावेगी ।
3. राज्य अथवा केन्द्र शासन के विभागों / उपक्रमों/ संस्थाओं में कार्यरत अभ्यर्थियों को वर्तमान नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) प्राप्त किया जाना आवश्यक है। चयन होने पर कार्यभार ग्रहण करने के समय अनिवार्यतः NOC प्रस्तुत करना होगा।
4. ऑनलाईन आवेदन हेतु निम्नानुसार वांछित सभी अभिलेखों की स्वप्रमाणित प्रति अपलोड किया जाना आवश्यक है एवं चयन होने पर दस्तावेज सत्यापन के समय मूल दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा –
 - I. जन्मतिथि हेतु हाई स्कूल / हायर सेकेंडरी परीक्षा प्रमाण-पत्र

Ala



- II. वांछित शैक्षणिक अर्हता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक की उपाधि एवं पर्यावरण इंजीनियरिंग में स्नातकोत्तर उपाधि की अंकसूची
 - III. कार्यरत सेवकों के लिये नियोक्ता का NOC
 - IV. फोटो पहचान-पत्र (पासपोर्ट / ड्रायविंग लायसेंस/ मतदाता परिचय पत्र/ बैंक पासबुक)
 - V. मध्य प्रदेश निवासी के मूल निवासी प्रमाण-पत्र
 - VI. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र (जो लागू हो)
5. नियुक्त सभी अधिकारियों पर मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 लागू होंगे एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही की स्थिति में मध्यप्रदेश शासन तथा मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में प्रचलित नियम/ निर्देश लागू होंगे ।
 6. अभ्यर्थी द्वारा प्रदत्त जानकारी असत्य पाये जाने पर आवेदक की अभ्यार्थिता चयन एवं नियुक्ति की स्थिति में निरस्त की जावेगी ।
 7. कोई भी उम्मीदवार जिसने विवाह के लिये निर्धारित की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, इस पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा ।
 8. जिस आवेदक को 02 से अधिक संतान है उनमें से एक का जन्म यदि 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो तब ऐसा आवेदक नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा।
 9. चयनित अभ्यर्थी को जिला चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त अच्छे स्वास्थ्य का प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा तथा पुलिस से चरित्र सत्यापन करवाया जावेगा। अयोग्य पाये जाने पर नियुक्ति निरस्त की जावेगी ।
 10. मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की आवश्यकतानुसार रिक्तियों की संख्या में परिवर्तन किया जा सकेगा। अध्यक्ष, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पास विज्ञापित पदों पर पूर्ण रूप से / आंशिक रूप से नियुक्ति, पदों संख्या में परिवर्तन तथा विज्ञापन निरस्त करने के पूर्ण अधिकार सुरक्षित रहेंगे ।
 11. नियुक्ति से संबंधी सभी अधिकार अध्यक्ष, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल के पास सुरक्षित रहेंगे ।


सदस्य सचिव

मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल